न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक
(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 20/2019

जाकिर हुसैन राज टाकीज के पीछे टोंक जिला– टोंक राज0
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) कलक्ट्रेट टोंक जिला–टोंक
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 22–7–2019

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलक्ट्रेट टोंक में दिनांक 10–5–2019 को उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार सूचना चाही गई हैः–

1–साबिक खसरा नम्बर 4852 हाल खसरा नम्बर 5376 रकबा 1 बिस्वा कस्बा शर्की टोंक की चारों ओर की सीमाएँ क्या हैं ? सूचना उपलब्ध करावायें। अथवा नक्शा ट्रेस आस पास एक प्रति उपलब्ध करवायें।

2–नामान्तरकरण सं0 2444 व 2445 दिनांक 5–8–2003 कस्बा शर्की टोंक की सम्पूर्ण पत्रावली की एक–एक फोटो प्रति उपलब्ध करावें।

3–खसरा नम्बर 5409 रकबा 8 बिस्वा किस्म कृषि भूमि के पश्चिम व दक्षिण भूमि के खसरा नम्बर क्या हैं। सूचना उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) कलक्ट्रेट टोंक के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) कलक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 519 दिनांक 21–6–2019 से जवाब तलब किया गया। तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) कलक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 6082 दिनांक 12–7–2019 से अवगत कराया है कि आवेदक द्वारा चाही जा रही सूचना कार्यालय के पत्र कमांक 7567 दिनांक 28–6–2019 से आवेदक को भिजवा दी गई है। आवेदक को भिजवाई गई सूचना की फोटो प्रतियॉ भी संलग्न की है। चूँकि आवेदक को सूचना भिजवा दी गई है अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) कलक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner